भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †678
(दिनांक 24 जुलाई, 2023, सोमवार/2 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर)

"ई-बीजक"

†678. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) सरकार द्वारा ई-बीजक के लिए अपनाए गए वर्तमान मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

ख) क्या सरकार ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर ई-बीजक तैयार करने या बिजनेस-टू-बिजनेस बिक्री के वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग की आवश्यकता के दायरे को बढ़ा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त नई प्रणाली में किस प्रकार इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के कारण होने वाली राजस्व हानि को रोका जाएगा;

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ई-बीजक शुरू करने से अर्जित होने वाली संभावित अतिरिक्त राजस्व की कुल राशि कितनी होगी; और

(च) सरकार द्वारा देश में कर अनुपालन में सुधार के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, कोई पंजीकृत व्यक्ति, जिसका वार्षिक टर्नओवर 2017-18 से पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये से अधिक है, को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए किसी पंजीकृत व्यक्ति (बी2बी), एसईजेड, या निर्यात और मानित निर्यात के लिए बनाए गए हैं, की आपूर्ति के संबंध में ई-बीजक जारी करना आवश्यक है।

(ख) और (ग) जीएसटी परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बीजक प्रणाली (ई-बीजक) चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई है। दिनांक 01.10.2020 से ₹500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत व्यक्ति (बी2बी) को, एसईजेड को या निर्यात और मानित निर्यात के लिए की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए ई-बीजक अनिवार्य कर दिया गया था। टर्नओवर की इस सीमा को बाद में संशोधित कर 01.01.2021 से 100 करोड़ रु., 01.04.2021 से 50 करोड़ रु., 01.04.2022 से 20 करोड़ रु. और 01.10.2022 से 10 करोड़ रु.किया गया है। इस सीमा को और घटाकर 01.08.2023 से 5 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

(घ) ई-बीजक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करता है और 'बीजक मिलान' में भी मदद करता है और आपूर्ति श्रृंखला में इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह में सहायता करता है, जिससे जीएसटी व्यवस्था के तहत धोखाधड़ी और अन्य कदाचार के मामलों में कमी आती है।

(ङ) ई-बीजक मात्र से अर्जित होने वाले संभावित अतिरिक्त राजस्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(च) देश में कर अनुपालन में सुधार के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहले/नीतिगत उपाय/सुधार इस प्रकार हैं:

(i) रिटर्न दाखिल करने में अनुशासन लाने और जीएसटीआर-3बी रिटर्न समय पर दाखिल करने को बढ़ावा देने के लिए, पिछली कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले करदाताओ के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ii) किसी कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करने से पहले फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करना अनिवार्य बनाने और फॉर्म जीएसटीआर-1 को क्रमिक रूप से दाखिल करने को अनिवार्य बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

(iii) इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ को उस सीमा तक सीमित करने के लिए संशोधन किये गये हैं, जहां तक ऐसी आपूर्ति का विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा उसके फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किया गया है और जो करदाता को उसके फॉर्म जीएसटीआर-2बी में उपलब्ध कराया गया है।

(iv) करदाताओं द्वारा आत्म-अनुशासन और आत्म-अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, करदाता को विभेदी दायित्व का भुगतान करने या अंतर समझाने में सक्षम बनाने के लिए सामान्य पोर्टल पर करदाता को किसी कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी में देयता में अंतर की प्रणाली-आधारित सूचना का प्रावधान किया गया है।

*****